



राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

कमांक / राशिके / NTSE-NMMSS / 2016 / 2448

भोपाल दिनांक 9-8-16

प्रति,

1. जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले (म0प्र0)
2. प्राचार्य डाइट
समस्त जिले (म0प्र0)
3. जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र समस्त जिले (म0प्र0) ।

विषय:- सत्र 2016-17 की NTSE-NMMSS के परीक्षा के आयोजन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत दिनांक 06 नवम्बर 2016 को NTSE एवं NMMSS की परीक्षा का आयोजन किया जाना है। परीक्षा के विज्ञापन का प्रारूप एवं निर्देश संलग्न है। कृपया हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी एवं माध्यमिक शालाओ में कमशः NTSE एवं NMMSS की एक - एक प्रति उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक छात्रों को MP-Online के माध्यम से आवेदन पत्र भरवाना सुनिश्चित करें।

आवेदन पत्र निःशुल्क भरने की प्रक्रिया दिनांक 10/08/2016 से MP-Online के माध्यम से प्रारंभ की जा रही है। कृपया समय सीमा में अधिक छात्रों को लाभावित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- NTSE-NMMSS के निर्देश

S. Dahima

(शीला दाहिमा)
अपर मिशन संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल

पृ.क्र. / राशिके / NTSE-NMMS / 2016 / 2449

भोपाल दिनांक 9-8-16

प्रतिलिपि -

1. कलेक्टर समस्त जिले म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी समस्त जिले म.प्र. की ओर सूचनार्थ।

S. Dahima

(शीला दाहिमा)
अपर मिशन संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल

foKki u

jk"Vh; ehUl &de&efjV Nk=ofRr gsrq p; u ijh{kk 2016&2017 %NMMSS%

1/e/; i n's'k jkT; e fLFkr d'oy 'kkl dh; @'kkl dh; vupku iklr@LFkkuh; fudk; k }kjk l pkyfyr fo|ky; k e o"kl 2016&17 e d{k 8oh e v/; ; ujr fo|kffkz; k ds fy, 1/2

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2008 में प्रारंभ की गई है। म0प्र0 राज्य के लिए निर्धारित छात्रवृत्तियों हेतु चयन परीक्षा 2016-17 दिनांक 06.11.2016 को आयोजित की जा रही है। चयनित विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी रूपये 6000/- के मान से कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति दी जाती है। नियमित छात्रवृत्ति हेतु कक्षा 9वीं एवं 11वीं में न्यूनतम 55 प्रतिशत एवं कक्षा 10वीं में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यह छात्रवृत्ति केवल शासकीय अनुदान प्राप्त एवं स्थानीय निकायों के विद्यालयों में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों के लिए है।

1. ik=rk – म.प्र. राज्य में स्थित केवल शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त/स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2016-17 में कक्षा 8वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी ही इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने कक्षा 7 में कम से कम "c" ग्रेड प्राप्त किया है एवं जिनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय 1.50 लाख (रु. एक लाख पचास हजार मात्र) से अधिक नहीं है।
2. ikB; de – इस परीक्षा हेतु कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। प्रश्नों का स्तर कक्षा 7वीं एवं 8वीं की परीक्षा के समान होगा।
3. ijh{kk 'k/d – परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।
4. ijh{kk dk ek/; e – परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी होगा।
5. vkj{k.k – म.प्र. राज्य द्वारा निर्धारित कोटा अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त विद्यार्थियों हेतु जिलेवार आरक्षण का प्रावधान होगा।
6. ijh{kk dk foj.k –

vkWuykbu vkonu i = Hkj us dh i kj EHK frffk	10-08-2016
vkonu i = Hkj us dh vfre frffk	15-09-2016
ijh{kk fnukd o fnu	06-11-2016 1/2 fojkj 1/2
ijh{kk 'k/d	fu% k/d

ijh{kk dk l e; :- ikr% 10-45 l s 12-30 rd %MAT gsrq 1/2
nksi gj 12-30 l s 2-15 rd %SAT gsrq 1/2

परीक्षा	अवधि	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अर्हता अंक	
				सामान्य वर्ग	अ.जा./अ.ज. जा. /निःशक्त वर्ग
मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT)	90 मिनट	90	90	40% अर्थात 72 अंक	32% अर्थात 58 अंक
शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)	90 मिनट	90	90		

uks/ & nksuka i'z ui =k ds chp fo|kffkz dks ijh{kk d{k NkM+us dh vu@fr ugha gkxhA

- मानसिक योग्यता के अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से प्रश्न समजातता, वर्गीकरण, श्रृंखला, आकृति, अवबोधन, छुपी हुई आकृतियों, कोडन-विकोडन, खंड समुच्चय समस्या सुलझाने आदि पर आधारित होंगे।

- शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से 35 प्रश्न विज्ञान के, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान तथा गणित विषय के 20 प्रश्न होंगे।

7. आवेदन की प्रक्रिया एवं प्रवेश पत्र की प्राप्ति—

7-1b) ijh{kk grq vkonu dby vkuu ykbu gh Lohdkj fd; s tk; xA fdl h Hkh i xdkj ed; qy vFkok Mkd }kjk Hksts x; s vkonu i = Lohdkj ugha fd; s tk; xs A

7.2 आवेदन पत्र की हार्डकापी एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क केन्द्र से या एमपीऑनलाइन की वेबसाइट <http://www.mponline.gov.in> पर प्राप्त होगी। राज्य शिक्षा केन्द्र के मोनो में क्लिक करने पर NMMSS लिंक मिलेगी, NMMSS लिंक को क्लिक करके आवेदन पत्र प्राप्त होगा।

7.3 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र की हार्डकापी पूर्ण रूप से भरने के बाद संबंधित प्रधान अध्यापक एवं संकुल प्राचार्य से सत्यापित करवानी होगी।

7.4 अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरा एवं सत्यापित किया हुआ आवेदन पत्र एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के पास जाकर ऑनलाइन एंट्री करवायेगा।

7.5 आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ प्रमाणीकरण हेतु दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां, जैसे—कक्षा सातवीं का प्रगति पत्रक, आय प्रमाण पत्र, एस.सी./एस.टी./निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न कर संकुल प्राचार्य को जमा करें।

7.6 आवेदन की ऑनलाइन एंट्री के बाद दो प्रतियों में प्राप्त रसीद में से एक प्रति स्वयं अपने पास रखे एवं दूसरी प्रति आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ लगाकर संबंधित संकुल प्राचार्य के कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करेंगे। संकुल प्राचार्य आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) में भेजेंगे। जिन जिलों में डाईट नहीं हैं वहां संकुल प्राचार्य, जिला शिक्षा केन्द्र (डी.पी.सी. कार्यालय) को आवेदन-पत्र भेजेंगे। डाईट/डी.पी.सी. कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र अंतिम रूप से सूचीबद्ध कर केवल आवेदन पत्र की सूची राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल को निर्धारित तिथि पर ही भेजे जावेंगे।

7.7 जाति प्रमाण पत्र एवं निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदक को सामान्य श्रेणी का माना जायेगा।

7.8 आय प्रमाण पत्र हेतु सकल वार्षिक आय का शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न करना अनिवार्य है जिसका प्रारूप नियम पुस्तिका के साथ संलग्न है।

7.9 प्रवेश पत्र माह अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में एमपीऑनलाइन के लिंक

<https://www.mponline.gov.in> उपलब्ध होंगे जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे।

8. ijh{kk dk ek/; e & परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी होगा।

9. ijh{kk 'kq'd & इस परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।

10. i q% jh{k. k@i qeW; kdu & इस परीक्षा हेतु पुनःपरीक्षण/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

11. ; k=k HkRrk & परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र तक आने-जाने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जाएगा।

12. महत्वपूर्ण निर्देश –

12.1 परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पहुंचे।

12-2 ijh{kk d{k e fdl h Hkh i xdkj fd fdrkc ; k dki h]l y; qj] ekxckby Oku] dYdyVj] ykK VcYI] udy i pkz fdl h i xdkj dh byDVkfud ; = vkfn dk mi ; kx i k% oftr gA

12.3 सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।

12.4 इस परीक्षा हेतु कोई ऋणात्मक अंक नहीं है।

12.5 उत्तरशीट परीक्षा उपरांत पर्यवेक्षक के पास अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे।

12-6 परीक्षा हॉल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :- p0s' k&i =] dby dkyk @uhyk cklylokba/ iu %tsy iu dk mi ; kx ekU; ugha gksxA½

12.7 परीक्षा संबंधी विस्तृत विवरण परीक्षा संबंधी नियम पुस्तिका में उपलब्ध है जिसे एमपीऑनलाइन की वेबसाइट <http://www.mponline.gov.in> से प्राप्त किया जा सकता है।

vk; Dr
j kT; f' k{kk dWnz
Hkksi ky

राज्य शिक्षा केन्द्र, म-ि z Hkksj ky

jk"Vh; ehUl &de&efjV Nk=ofRr p; u ijh{kk 2016&2017 NMMSS

1/e/; i ns'k jkT; e fLFkr dby 'kkl dh; @'kkl dh; vupku i klr@LFkkuh; fudk; k }kjk l pkfyr fo | ky; k e o"kl 2016&17 e d{kk 8oha e v/; ; uj r fo | kffk; k ds fy, 1/2

ijh{kk fu; e i fLrdk

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय-मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। म0प्र0 राज्य के लिए निर्धारित छात्रवृत्तियों हेतु चयन परीक्षा दिनांक 06.11.2016 को आयोजित की जा रही है। चयनित विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी, प्रतिवर्ष रुपये 6000/- के मान से कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति दी जाती है। नियमित छात्रवृत्ति हेतु कक्षा 9वीं एवं 11वीं में 55 प्रतिशत अंक एवं कक्षा 10वीं में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यह छात्रवृत्ति केवल शासकीय अनुदान एवं स्थानीय निकायों के विद्यार्थियों नियमित एवं विद्यार्थियों के लिए है।

- 1 ik=rk - म.प्र. राज्य में स्थित केवल शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त/स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2015-16 में कक्षा 8वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत् ऐसे विद्यार्थी ही इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने कक्षा 7वीं में कम से कम "C" ग्रेड प्राप्त किया है एवं जिनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय 1.50 लाख (रु. एक लाख पचास हजार मात्र) से अधिक नहीं है।
- 2 vkj{k.k - म.प्र. राज्य द्वारा निर्धारित कोटा अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त विद्यार्थियों हेतु जिलेवार आरक्षण का प्रावधान होगा। केवल मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी ही आरक्षण के पात्र होंगे। अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के रूप में विचारित किये जायेंगे। निःशक्तजन अंतर्गत अस्थिवाधित, श्रवणवाधित एवं दृष्टिवाधित तीनों वर्ग के 40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता के अभ्यर्थी ही आरक्षण हेतु पात्र होंगे। जाति प्रमाणपत्र एवं निःशक्तता प्रमाणपत्र आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

- 3 ijh{kk , oa vkonu grq egRoi w kl frfFk; k&

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	10.08.2016
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	15.09.2016
परीक्षा दिनांक व दिन	06.11.2016 (रविवार)
परीक्षा शुल्क	निःशुल्क

- 4- ijh{kk dk foj .k

परीक्षा प्रश्न-पत्र	अवधि	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अर्हता अंक	
				सामान्य वर्ग	अ.जा./अ.ज.जा./निःशक्त वर्ग
मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT)	90 मिनट	90	90	40% अर्थात 72 अंक	32% अर्थात 58 अंक
शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)	90 मिनट	90	90		

- मानसिक योग्यता परीक्षण- इसके अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में समजातता,वर्गीकरण,श्रृंखला, आकृति, अवबोधन, छुपी हुई आकृतियों, कोडन-विकोडन, खंड समुच्चय, समस्या सुलझाने आदि पर आधारित प्रश्न होंगे।
- शैक्षिक योग्यता परीक्षण- इसके अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से 35 प्रश्न विज्ञान के, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान तथा गणित विषय के 20 प्रश्न होंगे।

- 5 ikB; de- इस परीक्षा हेतु कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। प्रश्नों का स्तर कक्षा 7वीं एवं 8वीं की परीक्षा के समान होगा।

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा का नाम	परीक्षा प्रश्नपत्र	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जॉनकारियां भरने का समय	प्रश्न-पत्र वितरण समय	प्रश्न-पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
06.11.2016 (रविवार)	परीक्षा राष्ट्रीय मीन्स-कम-मैरिट छात्रवृत्ति वयन	मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT)	प्रातः 10:45 बजे से	प्रातः 10:45 बजे से	प्रातः 10:45 से 10:55 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:55 बजे	प्रातः 10:55 से 11:00 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 11:00 से 12.30 बजे तक (कुल डेढ़ घंटा)
		शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)	दोपहर 12:30 बजे से	दोपहर 12:30 बजे से	दोपहर 12:30 से 12:40 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 12:40 बजे	दोपहर 12:40 से 12:45 बजे तक (05 मिनट)	दोपहर 12:45 से 2.15 बजे तक (कुल डेढ़ घंटा)

7 आवेदन की प्रक्रिया एवं प्रवेश पत्र की प्राप्ति

- 7.1 $bl\ ijh\{kk\ grq\ vkonu\ d\oy\ vkWu\ ykbu\ gh\ Lohdkj\ fd;\ s\ tk;\ \&A\ fdl\ h\ Hkh\ i\ d\kj\ e\ll;\ m\y\ v\{k\ok\ M\kd\ }k\j\ k\ Hk\ts\ x;\ s\ v\konu\ i\ =\ Lohdkj\ ugha\ fd;\ s\ tk;\ \&A\ ijh\{kk\ ds\ v\konu\ i\ =\ l\ d\ty\ i\ k\pk;\ l\ ds\ ek;\ e\ l\ s\ Hk\j\ s\ tk;\ \&A$
- 7.2 संकुल प्राचार्य आवेदन पत्र की हार्डकापी एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क केन्द्र से या एमपीऑनलाइन की वेबसाइट <http://www.mponline.gov.in> से प्राप्त करके विद्यालय को उपलब्ध कराएंगे। राज्य शिक्षा केन्द्र के मोनो में क्लिक करने पर NMMSS लिंक मिलेगी, NMMSS लिंक को क्लिक करके आवेदन पत्र प्राप्त होगा। आवेदन पत्र दिनांक 10.08.2016 से डाउनलोड किए जाने हेतु उपलब्ध रहेंगे।
- 7.3 विद्यालय के छात्रों द्वारा पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र, प्रधानाध्यापक द्वारा अग्रेषित करके संकुल प्राचार्य को भेजे जाएंगे।
- 7.4 संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदनों का प्रमाणीकरण करने के उपरांत एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क केन्द्र से प्रविष्टि कराई जाएगी। कियोस्क से प्राप्त दो रसीदों में से एक संबंधित छात्र को दी जाएगी दूसरी आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न की जाएगी।
- 7.5 ऑनलाईन प्रविष्टि कराए गए आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी संकुल स्तर पर संधारित की जाएगी। (आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित छाया प्रतियां, जैसे-कक्षा 7वीं का प्रगति पत्रक, आय प्रमाण पत्र (शपथपत्र) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति भी संधारित की जाएगी)। छात्र स्वयं का जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- 7.6 जाति प्रमाण पत्र एवं निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदक को सामान्य श्रेणी का माना जायेगा।
- 7.7 संकुल प्राचार्य अपने केन्द्र के समस्त आवेदन पत्रों की सूची संलग्न प्रारूप अनुसार राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रेषित करेंगे एवं भविष्य में आवश्यकता अनुसार चाहे गए आवेदन पत्र राज्य शिक्षा केन्द्र को उपलब्ध कराएंगे।
- 7.8 आय प्रमाण पत्र हेतु सकल वार्षिक आय का शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न करना अनिवार्य है जिसका प्रारूप नियम पुस्तिका के साथ संलग्न है।
- 7.9 प्रवेश पत्र माह अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में एमपीऑनलाइन के लिंक <https://www.mponline.gov.in> उपलब्ध होंगे जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे।
- 7.10 प्रवेश पत्र माह अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में एमपीऑनलाइन की वेबसाइट <http://www.mponline.gov.in> पर उपलब्ध होंगे जिन्हें विद्यार्थी स्वयं डाउनलोड कर सकेंगे।
- 7.11 ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी के साथ लगाया जाने वाला फोटोग्राफ रंगीन व साईज 3.5 से.मी. x 4.5 से. मी. का होना चाहिये, जिसकी गुणवत्ता अच्छी होना चाहिये। पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।
- 7.12 आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी में किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा।
- 7.13 आवेदन पत्र की हार्ड कापी पर निर्धारित स्थान पर नवीनतम फोटोग्राफ चस्पा किया जाना चाहिए।
- 7.14 काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा।
- 7.15 आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर किये जाने चाहिए।
- 7.16 आवेदन पत्र में लघु हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- 7.17 अंग्रेजी के कैपिटल लैटर में हस्ताक्षर नहीं किये जाने हैं।
- 7.18 आवेदन पत्र में एक से अधिक हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए।
- 7.19 आवेदन पत्र में हस्ताक्षर पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए।

8 $ijh\{kk\ dk\ ek;/\ e\ \&$ परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी होगा।

9 $ijh\{kk\ 'k\p/d\ \&$ इस परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।

10 $i\ p\%j\ h\{k.k\@i\ p\ e\ll;\ k\ d\ u\ \&$ इस परीक्षा हेतु पुनः परीक्षण/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

11 ; k=k HkRrk & परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र तक आने-जाने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जाएगा।

12 **महत्वपूर्ण निर्देश –**

- 12.1 परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पहुंचना अनिवार्य है।
- 12.2 परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट बाद तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- 12.3 परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
- 12.4 परीक्षा कक्ष में किताब या कापी, सेल्युलर, मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- 12.5 **परीक्षा कक्ष में ले जाने हेतु आवश्यक**।
- 12.6 सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर होगा जिनमें से एक सही होगा।
- 12.7 इस परीक्षा हेतु कोई ऋणात्मक अंक नहीं है।
- 12.8 आवेदक अपना भरे हुए हार्डकापी आवेदन-पत्र की छायाप्रति संभाल कर रखें, जिसके आधार पर ही लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र एमपीऑनलाइन से प्राप्त किया जा सकेगा।
- 12.9 प्रश्नपत्रों के बीच छात्रों को कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी।

13 **परीक्षा क्षेत्र**

परीक्षा मध्यप्रदेश के 51 जिला/ब्लाक मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। किसी परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर उसे परिवर्तित/निरस्त किया जायेगा। परीक्षा केन्द्र की जानकारी प्रवेश पत्र पर अंकित होगी।

14 **अनुचित साधन** निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन के अंतर्गत माना जावेगा :-

- 14.1 परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।
- 14.2 अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
- 14.3 परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
- 14.4 अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्न-पुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।
- 14.5 अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्न-पुस्तिका की अदला-बदली करना।
- 14.6 नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
- 14.7 सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
- 14.8 सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
- 14.10 परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।

उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौंपा जायेगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा।

15- **वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।**

16- **मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र./एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सक (शासकीय) के प्रमाणीकरण एवं सिविल सर्जन के प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के आधार पर निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :-**

- 16-1 **दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रलपल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।**
 - 16.1.1 मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डिसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।
 - 16.1.2 ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो।
 - 16.1.4 दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो।
- 16-2 **उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :-**

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	60 मिनट
2) घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	50 मिनट
2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए	40 मिनट

1) घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए

30 मिनट

16-3 ys[ku fyfi d dh fu; fDr grq 'kr' %&

16.3.1 लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का होना चाहिए।

16.3.2 लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी यथा लेखन लिपिक का नाम पिता का नाम अध्ययनरत शाला एवं अध्ययनरत कक्षा का संबंधित संस्था प्रधान अध्यापक द्वारा प्रमाणाकरण, अभ्यर्थी द्वारा संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष को प्रस्तुत कर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगी।

16-4 bl ds vfrfjDr ink; dh tkus okyh l fo/kk, %&

16.4.1 परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाएँ मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जायेगा।

16.4.2 ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

ukv%& fdl h Hkh i xkj dh dfBukbz gkus ij fujkdj.k grq , e-i-h- vkWuykbu ds nij Hkk"k ucj 0755&4019400 ij vkj jkT; f'k{kk dlnz ds nij Hkk"k ucj 0755&2559952 l a dZ djA

vk; Dr
राज्य शिक्षा केन्द्र
Hkksj ky

vkonu&i =

jk"Vh; ehUl &de&efjV Nk=ofRr ijh{kk 2016&17] jkT; &e/; i n's k
 %doy e-i z e fLFkr 'kkl dh; @'kkl dh; vupku i klr@LFkkuh; fudk; k }kj k l pkyr
 fo | ky; k e o"kl 2016&17 e d{kk 8oha e v/; ; uj r fo | kffk; k ds fy, ½

(नोट— अंतिम पृष्ठ पर अंकित निर्देशों का पालन करते हुए सावधानीपूर्वक आवेदन-पत्र भरें।)

अनुक्रमांक 12 डिजिट में (केवल आफिस कार्य हेतु)

परीक्षा का कोड	राज्य का कोड	वर्ष	केन्द्र का कोड	सरल क्रमांक
3	3	8	1	6

जन्म तिथि	दिनांक	माह	वर्ष

दिनांक माह वर्ष

- विद्यालय (जहाँ परीक्षार्थी अध्ययनरत है) का डाइस कोड—
- परीक्षार्थी का समग्र आई.डी. नंबर— (अनिवार्य)
- परीक्षार्थी का आधार नंबर (यदि उपलब्ध हो)—

आवेदक यहाँ अपना नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो चिपकायें एवं अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित कराए।

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में)

अंग्रेजी के केपिटल अक्षरों में (नाम व उपनाम के बीच एक ब्लाक रिक्त छोड़ें)

2. पिता का नाम (हिन्दी में).....

अंग्रेजी के केपिटल अक्षरों में (नाम व उपनाम के बीच एक ब्लाक रिक्त छोड़ें)

3. माता का नाम (हिन्दी में)

अंग्रेजी के केपिटल अक्षरों में (नाम व उपनाम के बीच एक ब्लाक रिक्त छोड़ें)

4. लिंग 5. क्षेत्र जहाँ आवेदक रहता है 6. आवेदक की जाति (नोट—अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी सामान्य वर्ग में मान्य होंगे)

1	2	1	2	1	2	3
महिला	पुरुष	ग्रामीण	शहरी	सामान्य (GEN)	अ.जा. (SC)	अ.ज.जा (ST)

7. क्या निःशक्तजन श्रेणी में आरक्षण हेतु विद्यार्थी 40% या इससे अधिक विकलांग है

1	2
---	---

हाँ नहीं

8. यदि हाँ, तो निःशक्त विद्यार्थी की विकलांगता का प्रकार

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	2	3
अस्थि बाधित	श्रवण बाधित	दृष्टि बाधित

9. पत्र व्यवहार का पता (हिन्दी में)

विकासखण्ड.....जिला.....पिन

अंग्रेजी में (अपना या पिता का नाम नहीं लिखें):

विकासखण्ड																				
जिला																				

पिन -

10. विद्यालय का नाम एवं पता जहाँ आवेदक कक्षा आठवीं में पढ़ रहा है (हिन्दी में).....

.....संकुल केन्द्र

ब्लाक.....जिला.....पिन

अंग्रेजी में (केपीटल अक्षर में)

संकुल केन्द्र																				
विकासखण्ड																				
जिला																				

पिन -

11. विद्यालय का प्रकार जहाँ आवेदक कक्षा आठवीं में पढ़ रहा है

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	2	3

शासकीय स्थानीय निकाय शासकीय अनुदान प्राप्त

12. क्षेत्र जहाँ स्कूल स्थित है

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	2

ग्रामीण शहरी

13. परीक्षा का माध्यम

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	2
हिन्दी	अंग्रेजी

14. पिता की शिक्षा

15. पिता का व्यवसाय

16. माता की शिक्षा

17. माता का व्यवसाय

18. माता पिता या पालक का मोबाईल नं.

19. माता-पिता की सकल वार्षिक आय (अंकों में) रुपये शब्दों में

20. माता-पिता की सकल वार्षिक आय का वर्गीकरण 1 2 3

रु. 50000 तक (रुपये 50001 से 100000 तक) (रुपये 100000 से 150000 तक)

21. विद्यालय/संकुल केन्द्र का टेलीफोन नं. -

एस.टी.डी.कोड

फोन नंबर

22. ई-मेल

22. छात्र का खाता क्र.

बैंक का नाम

शाखा का नाम

आईएफएससी कोड

संकुल प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापक का प्रमाणीकरण

- प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुशासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त/स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालय का/की नियमित छात्र/छात्रा है।
- विद्यार्थी ने ग्रेड प्राप्त कर सातवीं कक्षा उत्तीर्ण की है (केवल A,B,C ग्रेड प्राप्त)
- विद्यार्थी के माता-पिता की सकल वार्षिक आय रुपये 1.50 लाख (अक्षरों में एक लाख पचास हजार मात्र) से अधिक नहीं है।
- प्रमाण पत्र के अनुसार श्री /कु.....की जाति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति है। (केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाए)
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र के अनुसार श्री/कुनिःशक्त श्रेणी के (विकलांग) है। इनकी विकलांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या इससे अधिक है।
- प्रधानाध्यापक का मोबाईल नं.
- संकुल प्राचार्य का मोबाईल नं.
- उक्तानुसार आवेदन पत्र में भरी गई सभी जानकारी का मिलान कार्यालयीन रिकॉर्ड से कर लिया गया है।

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

प्राचार्य/प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर

नाम

पद मुद्रा सहित

संकुल प्राचार्य के हस्ताक्षर

नाम

पद मुद्रा सहित

आवेदन पत्र भरने के निर्देश

NMMS चयन परीक्षा का आवेदन पत्र भरने से पहले नीचे दिए गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें –

1. NMMS योजना के तहत आवेदन पत्र भरने हेतु पात्रता की शर्तें –

- इस छात्रवृत्ति हेतु केवल म.प्र. में स्थित शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त/स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2016-17 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी ही पात्र है।
- विद्यार्थी ने कक्षा 7वीं में A, B अथवा C ग्रेड प्राप्त किया हो।
- विद्यार्थी के माता-पिता की सकल वार्षिक आय रु. 1,50,000/- या उससे कम हो।

2. केवल नीले या काले बाल पेन से ही आवेदन पत्र भरें। अंग्रेजी में केवल केपिटल अक्षरों का ही प्रयोग करें। बाक्स से बाहर न लिखें।

3. बिन्दु क्र. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 20 में सही स्थान के लिए बॉक्स में $\sqrt{\quad}$ का निशान लगाए।

4. बिन्दु क्र. 14, 15, 16, 17 में कोड क्र. नीचे दी गई तालिका में दिए गए विवरण अनुसार भरें।

कोडिंग प्लान

माता-पिता की शिक्षा बिन्दु क्र. 14 एवं 16		माता-पिता का व्यवसाय बिन्दु क्र. 15,17	
शिक्षा	कोड	व्यवसाय	कोड
अनपढ़/पूर्व प्राथमिक स्तर तक	1	व्यवसायी, तकनीकी और इससे संबंधित	1
प्राथमिक स्तर तक	2	प्रशासनिक, प्रबंधकीय	2
उच्चतर प्राथमिक(मिडिल) तक के लिए	3	लिपिकीय या संबंधित कार्य	3
माध्यमिक (सेकेंडरी) स्तर तक	4	सेल्स/सर्विस वर्कर	4
उच्चतर माध्यमिक(सीनियर सेकेंडरी) तक के लिए	5	किसान, मछुआरा या संबंधित कार्य	5
स्नातक (ग्रेजुएशन)	6	उत्पादक और परिवहन व उससे संबंधित कार्य	6
स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएशन)	7	ऑपरेटर और श्रमिक जो उपर्युक्त श्रेणी में सम्मिलित नहीं	7
डाक्टोरेट (पी.एच.डी.)	8	बेरोजगार	8
व्यवसायिक (इंजीनियर, चिकित्सक, एमसीए, एमबीए)	9		
अन्य कोई	10		

5. आवेदन पत्र में नियत स्थान पर विद्यार्थी का पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो अच्छी तरह चिपकाया जावे तथा प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यार्थी के फोटो पर नीचे की ओर हस्ताक्षर एवं उसके नीचे पदमुद्रा से इस प्रकार सत्यापित किया जावे कि फोटो में विद्यार्थी का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

6. संकुल प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापक के प्रमाणीकरण में यदि विद्यार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का है तो संबंधित प्रविष्टि करते हुए जाति प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जावे।

7. NMMS छात्रवृत्ति योजना के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग को भारत सरकार द्वारा आरक्षण नहीं दिया जाता है, वरन उन्हें सामान्य वर्ग में ही मान्य किया जाता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र विद्यार्थी आवेदन पत्र के बिंदु क्रमांक 6 में सामान्य के खाने में $\sqrt{\quad}$ का निशान लगाएं तथा उन्हें पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।

8. निःशक्तजन (विकलांग) श्रेणी के आरक्षण की पात्रता 40% या अधिक विकलांगता रखने वाले विद्यार्थी को है। अतः विकलांग श्रेणी के अवेक द्वारा सक्षम अधिकारी के निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटो प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जावे।

9. आवेदन पत्र सही-सही भरा जावे तथा विद्यार्थी/आवेदक के हस्ताक्षर, प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा तथा संकुल प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा अंकित कर प्रमाणीकरण कराया जावे। तत्पश्चात NMMS परीक्षा में नामांकन हेतु पूर्ण भरा हुआ एवं प्रमाणीकरण की पूर्ति उपरांत आवेदन पत्र की प्रविष्टि संकुल प्राचार्य द्वारा एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क सेंटर पर कराई जाएगी। एम.पी.ऑनलाइन के कियोस्क सेंटर द्वारा यह कार्य निःशुल्क रूप से किया जावेगा तथा प्रत्येक आवेदन पत्र की प्रविष्टि उपरांत पावती (रसीद) की दो प्रति प्रदान

की जावेगी। इसकी एक प्रति विद्यार्थी के पास तथा दूसरी प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर इसे संकुल प्राचार्य के कार्यालय में जमाकर एक वर्ष तक सुरक्षित रूप से रखा जावेगा।

10. NMMS परीक्षा का परिणाम घोषित होने के उपरांत अर्ह घोषित किए गए विद्यार्थी का आवेदन पत्र संकुल प्राचार्य द्वारा विहित आय प्रमाण पत्र तथा संबंधित छात्र के निकटतम भारतीय स्टेट बैंक (SBI) या राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गए बचत खाते एवं बैंक शाखा के आई.एफ.एस.सी. कोड इत्यादि की सही जानकारी एवं पासबुक से संबंधित पृष्ठ की छायाप्रति सहित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किया जावे, जहाँ इसे छात्रवृत्ति अवधि में (4 वर्ष तक) सुरक्षित रखा जावेगा।

11. म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक F/4112 R/08/बीस-2/भोपाल दिनांक 31.12.2008 अनुसार NMMS छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थी के माता-पिता/अभिभावक द्वारा विहित प्रारूप में दिए गए शपथ पत्र को आय-प्रमाण पत्र के रूप में मान्य किया जा सकता है। (प्रारूप संलग्न)

12. एम.पी.ऑनलाइन पर आवेदन पत्र की प्रविष्टि के समय प्रत्येक विद्यार्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन किए जाएंगे। इस हेतु प्रत्येक विद्यार्थी की पासपोर्ट साइज के एक अतिरिक्त फोटो के साथ कियोस्क पर उपस्थिति आवश्यक होगी।

foKki u

jk"Vh; i frHkk [kkt i fke p; u ijh{kk 2016&2017

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना वर्ष 1963 से प्रारम्भ हुई है। इसका उद्देश्य प्रतिभावान छात्रों को चिन्हित करना है एवं उन्हें सहायता प्राप्त करना है। NCERT नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए आयोजित की जाती है।

म.प्र. राज्य द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा वर्ष 2016-17 दिनांक 6 नवम्बर 2016 को जिला स्तरीय केन्द्रों पर आयोजित की जा रही है। द्वितीय स्तर की परीक्षा दिनांक 14 मई 2017 को आयोजित की जाएगी। इसके लिए राज्य से प्रत्याशियों निर्धारित संख्या 258 है। अंतिम चयन हेतु राज्यों का कोई कोटा निर्धारित नहीं है।

1. पात्रता – म.प्र. राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 10 वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं। दूरस्थ मुक्त शिक्षा (ओपन स्कूल) में पंजीकृत ऐसे छात्र जो 1 जुलाई 2016 को 18 वर्ष से कम उम्र के हो कही कार्यरत न हो एवं कक्षा 10वीं की परीक्षा में पहली बार सम्मिलित हो रहे हो भी छात्रवृत्ति के लिए पात्र है।

2. छात्रवृत्ति – NCERT नई दिल्ली द्वारा द्वितीय स्तर की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के आधार पर पूरे देश से 1000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की राशि निम्नानुसार है।

1. कक्षा XI एवं XII के लिए 1250/- प्रतिमाह
2. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर कक्षाओं के लिए 2000/- प्रतिमाह
3. Ph.D. के लिए UGC नार्मस के अनुरूप

3. आरक्षण – प्रथम परीक्षा में आरक्षण हेतु मध्यप्रदेश शासन के नियम एवं निर्देश यथावत लागू रहेंगे। केवल मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी ही आरक्षण के पात्र होंगे। अन्य प्रदेशों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के रूप में विचारित किये जायेंगे। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन पत्र एवं प्रमाण पत्र की हार्डकापी के साथ संलग्न कर राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रेषित करेंगे। निःशक्त विद्यार्थियों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान होगा।

4. परीक्षा एवं आवेदन हेतु महत्वपूर्ण तिथियां:-

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	10.08.2016
आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	15.09.2016
परीक्षा दिनांक व दिन	06.11.2016 (रविवार)
परीक्षा शुल्क	निःशुल्क

5. परीक्षा का विवरण:-

Ø	ijh{kk	vof/k	i / uka dh l a[; k	vf/kdre vd	vgrkdjkh vd	
					सामान्य वर्ग 40%	अ.जा./अ.जजा./ निःशक्त वर्ग 32%
1	मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT)	45 मिनट	50	50	20 अंक	16 अंक
2	भाषा बोध परीक्षण (LT)	45 मिनट	50	50	20 अंक	16 अंक
3	शैक्षिक योग्यता परीक्षण(SAT)	90 मिनट	100	100	40 अंक	32 अंक

नोट – परीक्षा का समय प्रातः 11 से 2.30 बजे तक रहेगा। प्रश्नपत्रों के बीच छात्रों को कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी।

- 5.1 मानसिक योग्यता परीक्षा – इसके अंतर्गत कुल 50 प्रश्नों में समजातता, वर्गीकरण, श्रृंखला, आकृति, अवबोधन, छुपी हुई आकृतियों, कोडन-विकोडन, खंड समुच्चय समस्या सुलझाने आदि पर आधारित प्रश्न होंगे।
- 5.2 भाषा बोध परीक्षण – इसके अंतर्गत कुल 50 प्रश्न होंगे भाषा ज्ञान परीक्षा अंग्रेजी एवं हिन्दी की होगी। छात्र इनमें अपनी रुचि के अनुसार किसी एक को चुन सकते हैं। यह क्वालीफाइंग परीक्षा है, इसके अंक प्रावीण्य सूची के निर्धारण में नहीं जोड़े जाएंगे।
- 5.3 शैक्षिक योग्यता परीक्षण – इसके अंतर्गत कुल 100 प्रश्नों में से 40 प्रश्न विज्ञान के (भौतिक शास्त्र – 13, रसायन शास्त्र – 13, जीव विज्ञान – 14 प्रश्न), 40 प्रश्न सामाजिक विज्ञान (इतिहास – 15, भूगोल – 15, राजनीति शास्त्र – 5, अर्थशास्त्र – 5) तथा गणित विषय – 20 प्रश्न होंगे।
6. पाठ्यक्रम – राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। यद्यपि प्रश्नों का स्तर म.प्र. राज्य में मान्य विभिन्न परीक्षा बोर्ड के कक्षा 9वीं एवं 10वीं की सार्वजनिक परीक्षा के समान होगा।
7. आवेदन की प्रक्रिया एवं प्रवेश पत्र की प्राप्ति

- 7.1 bl ijh{kk grq vkonu doy vklluykbu gh Lohdkj fd; s tk; xA fdl h Hkh idkj eW; py vFkok Mkd }kj k Hksts x; s vkonu i = Lohdkj ugha fd; s tk; x s vkonu i = Hkjus dh vfre frffk 15-09-2016 gA
- 7.2 आवेदन पत्र की हार्डकापी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क केन्द्र से या एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट <http://www.mponline.gov.in> पर दि. 10.08.2016 से प्राप्त होगी। राज्य शिक्षा केन्द्र के मोनो में क्लिक करने पर NTSE लिंक मिलेगी, NTSE लिंक को क्लिक करके आवेदन पत्र प्राप्त होगा।
- 7.3 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र की हार्डकापी पूर्ण रूप से भरने के बाद संस्था के प्राचार्य एवं संकुल प्राचार्य से सत्यापित करवानी होगी।
- 7.4 अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरा एवं सत्यापित किया हुआ आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क केन्द्र के पास जाकर ऑनलाइन एंटी करवायेगा।

- 7.5 आवेदन की ऑनलाइन एंट्री के बाद दो प्रतियों में प्राप्त रसीद में से एक प्रति स्वयं अपने पास रखेगा एवं दूसरी प्रति आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ लगाकर संबंधित संकुल प्राचार्य के कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करेंगे। संकुल प्राचार्य आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) में भेजेंगे। जिन जिलों में डाईट नहीं हैं वहां संकुल प्राचार्य, जिला शिक्षा केन्द्र (डी.पी.सी. कार्यालय) को आवेदन-पत्र भेजेगे। डाईट/डी.पी.सी. कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र अंतिम रूप से सूचीबद्ध कर राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल को निर्धारित तिथि पर ही भेजे जावेंगे।
- 7.6 जाति प्रमाण पत्र एवं निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आवेदक को सामान्य श्रेणी का स्वीकार किया जावेगा।
- 7.7 प्रवेश पत्र अक्टूबर माह 2016 के तीसरे सप्ताह से एमपी ऑनलाइन के लिंक <https://www.mponline.gov.in> पर उपलब्ध होंगे जिन्हें अभ्यर्थी स्वयं डाउनलोड कर सकेंगे।
8. परीक्षा का माध्यम – परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी होगा।
9. परीक्षा शुल्क – इस परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।
10. महत्वपूर्ण निर्देश :-
- 10.1 परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पहुंचना अनिवार्य है।
- 10.2 सेल्युलर, मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा किसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आदि का प्रयोग प्रतिबंधित है।
- 10.3 सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।
- 10.4 इस परीक्षा हेतु कोई ऋणात्मक अंक नहीं है।
- 10.5 उत्तरशीट परीक्षा उपरान्त पर्यवेक्षक के पास अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी।
- 10.6 परीक्षा संबंधी विस्तृत विवरण परीक्षा संबंधी नियम पुस्तिका में उपलब्ध है जिसे एम पीऑनलाइन की वेबसाइट <https://www.mponline.gov.in/Portal/CitizenHome.aspx?servtypeid=2> से प्राप्त किया जा सकता है।
11. पुनर्मूल्यांकन – इस परीक्षा हेतु पुनः परीक्षण/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।
12. यात्रा भत्ता – परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र तक आने –जाने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

vk; Dr
j kT; f' k{kk dlnz
Hkks ky

राज्य शिक्षा केन्द्र, म-ि-र-क-स-क-य

राज्य शिक्षा केन्द्र, म-ि-र-क-स-क-य
 2016 & 2017 NTSE
 10 वीं कक्षा के लिए
 10 वीं कक्षा के लिए

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा वर्ष 2016-17 दिनांक 06 नवम्बर 2016 को जिला स्तरीय परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा प्राथमिक रूप से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित की जाने वाली द्वितीय स्तर की परीक्षा दिनांक 14 मई 2017 के लिए राज्य से प्रत्याशियों की निर्धारित संख्या 258 को अनुमोदित करती है। वर्ष 2016-17 में मध्यप्रदेश राज्य हेतु निर्धारित संख्या 258 है। अंतिम चयन हेतु राज्यों का कोई कोटा निर्धारित नहीं है।

- पात्रता- म.प्र. राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 10 वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं।
- छात्रवृत्ति- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली द्वारा आयोजित परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों को नियमानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। द्वितीय स्तर की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के आधार पर राष्ट्रीय स्तर से 1000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की राशि निम्नानुसार है-
 - कक्षा XI एवं XII के लिए 1250/- प्रतिमाह
 - स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर कक्षाओं के लिए 2000/- प्रतिमाह
 - P.H.D के लिए UGC नार्मस के अनुरूप
- आरक्षण- प्रथम चयन परीक्षा हेतु म.प्र. राज्य के नियमानुसार अनुसूचित जाति हेतु 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति हेतु 20 प्रतिशत एवं निःशक्त विद्यार्थियों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान होगा। केवल मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी ही आरक्षण के पात्र होंगे। अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के रूप में विचारित किये जायेंगे। निःशक्तजन अंतर्गत अस्थिवाधित, श्रवणबाधित एवं दृष्टिबाधित तीनों वर्ग के 40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता के अभ्यर्थी ही आरक्षण हेतु पात्र होंगे।

4. परीक्षा एवं आवेदन हेतु महत्वपूर्ण तिथियां-

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	10.08.2016
आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	15.09.2016
परीक्षा दिनांक व दिन	06.11.2016 (रविवार)
परीक्षा शुल्क	निःशुल्क

5. परीक्षा विवरण :-

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	वर्ष/कक्षा	कुल प्रश्न	कुल अंक	वर्ग	
					सामान्य वर्ग 40%	अ.जा./अ.जजा./निःशक्त वर्ग 32%
1	मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT)	45 मिनट	50	50	20 अंक	16 अंक
2	भाषा बोध परीक्षण (LT)	45 मिनट	50	50	20 अंक	16 अंक
3	शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)	90 मिनट	100	100	40 अंक	32 अंक

नोट - परीक्षा का समय प्रातः 11 से 2.30 बजे तक रहेगा। प्रश्नपत्रों के बीच छात्रों को कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी।

- मानसिक योग्यता परीक्षा - इसके अंतर्गत कुल 50 प्रश्नों में समजातता, वर्गीकरण, श्रृंखला, आकृति, अवबोधन, छुपी हुई आकृतियों, कोडन-विकोडन, खंड समुच्चय समस्या सुलझाने आदि पर आधारित प्रश्न होंगे।
- भाषा बोध परीक्षण- इसके अंतर्गत कुल 50 प्रश्न होंगे। भाषा ज्ञान परीक्षा अंग्रेजी एवं हिन्दी की होगी। छात्र इनमें अपनी रुचि के अनुसार किसी एक को चुन सकते हैं। यह मात्र क्वालीफाइंग परीक्षा है। इसके अंक प्रावीण्य सूची के निर्धारण में नहीं जोड़े जाएंगे।
- शैक्षिक योग्यता परीक्षण- इसके अंतर्गत कुल 100 प्रश्नों में से 40 प्रश्न विज्ञान के (भौतिक शास्त्र- 14, रसायन शास्त्र- 13, जीव विज्ञान- 13 प्रश्न), 40 प्रश्न सामाजिक विज्ञान (इतिहास- 12, भूगोल- 11, राजनीति शास्त्र- 11, अर्थशास्त्र- 6) तथा गणित विषय- 20 प्रश्न होंगे।

- 6 पाठ्यक्रम- राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। यद्यपि प्रश्नों का स्तर मध्यप्रदेश राज्य में मान्य विभिन्न परीक्षा बोर्ड के कक्षा 9वीं एवं 10वीं की परीक्षा के समान होगा।
- 7 समय सारणी

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा का नाम	परीक्षा प्रश्नपत्र	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियाँ भरने का समय	प्रश्न-पत्र वितरण समय	प्रश्न-पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
06.11.2016 (रविवार)	राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा	मानसिक योग्यता परीक्षण (MAT)	प्रातः 10:45 बजे से	प्रातः 10:45 बजे से	प्रातः 10:45 से 10:55 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:55 बजे	प्रातः 10:55 से 11:00 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 11 से 11:45 तक (कुल 45 मिनट)
		भाषा बोध परीक्षण (LT)	प्रातः 11:45 बजे से	प्रातः 11:45 बजे से	प्रातः 11:45 से 11:55 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 11:55 बजे	प्रातः 11:55 बजे 12:00 से तक (कुल 5 मिनट)	दोपहर 12.00 से 12.45 तक (कुल 45 मिनट)
		शैक्षिक योग्यता परीक्षण (SAT)	दोपहर 12.45 बजे से	दोपहर 12.45 बजे से	दोपहर 12.45 बजे से 12.55 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 12.55 बजे	दोपहर 12.55 से 1.00 तक (05 मिनट)	दोपहर 1.00 से 2.30 बजे तक (कुल 1.30 घंटा)

8. आवेदन की प्रक्रिया एवं प्रवेश पत्र की प्राप्ति-

- 8.1 bl ijh{kk grq vkonu dloy vKlu ykbu gh Lohdkj fd; s tk; xA fdl h Hkh izdkj etj; my vFkok Mkd }kjk Hksts x; s vkonu i = Lohdkj ugha fd; s tk; x s vkonu i = Hkjus dh vfre frffk 31-08-2016 gA
- 8.2 आवेदन पत्र की हार्डकापी एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क केन्द्र से या एमपीऑनलाइन की वेबसाइट <http://www.mponline.gov.in> पर दि.से प्राप्त होगी। राज्य शिक्षा केन्द्र के मोनो में क्लिक करने पर NTSE लिंक मिलेगी, NTSE लिंक को क्लिक करके आवेदन पत्र प्राप्त होगा।
- 8.3 अभ्यर्थी को आवेदन पत्र की हार्डकापी पूर्ण रूप से भरने के बाद संस्था प्राचार्य एवं संकुल प्राचार्य से सत्यापित करवानी होगी।
- 8.4 अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरा एवं सत्यापित किया हुआ आवेदन पत्र एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क केन्द्र में ले जाकर ऑनलाइन एंट्री करवायेगा।
- 8.5 आवेदन की ऑनलाइन एंट्री के बाद दो प्रतियों में प्राप्त रसीद में से एक प्रति स्वयं अपने पास रखे एवं दूसरी प्रति आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ लगाकर संबंधित संकुल प्राचार्य के कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करेंगे। संकुल प्राचार्य आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) में भेजेंगे। जिन जिलों में डाईट नहीं हैं वहां संकुल प्राचार्य, जिला शिक्षा केन्द्र (डी.पी.सी कार्यालय)को आवेदन-पत्र सूचीबद्ध करके भेजेंगे। डाईट/डी.पी.सी. कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र अंतिम रूप से सूचीबद्ध कर राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल को भेजे जावेंगे।
- 8.6 जाति प्रमाण पत्र एवं निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ऑन लाईन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।
- 8.7 ऑन लाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही प्रवेश पत्र जारी किये जायेंगे।
- 8.8 आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी में किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा।
- 8.9 ऑन लाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी के साथ लगाया जाने वाला फोटोग्राफ रंगीन व साईज 3.5 से.मी. x 4.5 से. मी. का होना चाहिये, जिसकी गुणवत्ता अच्छी होना चाहिये।
- 8.10 पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।
- 8.11 आवेदन पत्र की हार्ड कापी पर निर्धारित स्थान पर नवीनतम फोटोग्राफ चस्पा किया जाना चाहिए।
- 8.12 काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा।
- 8.13 आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे किये जाने चाहिए।
- 8.14 आवेदन पत्र में लघु हस्ताक्षर मान्य नहीं।
- 8.15 अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर नहीं किये जाने है।
- 8.16 आवेदन पत्र में एक से अधिक हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए।
- 8.17 आवेदन पत्र में हस्ताक्षर पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए।
- 8.18 प्रवेश पत्र अक्टूबर माह के तृतीय सप्ताह से एमपीऑनलाइन के लिंक <http://www.mponline.gov.in> पर उपलब्ध होंगे जिन्हें अभ्यर्थी स्वयं डाउनलोड कर सकेंगे।

9. परीक्षा का माध्यम- परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी होगा।

10. परीक्षा शुल्क- इस परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।
11. पुनर्मूल्यांकन- इस परीक्षा हेतु पुनः परीक्षण/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।
12. यात्रा भत्ता- परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र तक आने-जाने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
13. महत्वपूर्ण निर्देश-
 - 13.1 परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पहुंचना अनिवार्य है।
 - 13.2 परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट बाद तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
 - 13.3 परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर्यवेक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
 - 13.4 परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार कि किताब या कापी, सेल्युलर, मोबाईल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
 - 13.5 ijh{kk gkks में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :- प्रवेश-पत्र, केवल काला /नीला बॉलप्वाइंट पेनA ty i u dk mi ; ks ekl; ugha gkxkA
- 13-6 सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर होगा जिनमें से एक सही होगा।

13.7 इस परीक्षा हेतु कोई ऋणात्मक अंक नहीं है।

13.8 आवेदक अपना भरे हुए हार्डकापी आवेदन-पत्र की छायाप्रति संभाल कर रखें, जिसके आधार पर ही लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र एमपीऑनलाइन से प्राप्त किया जा सकेगा।

13.9 प्रश्नपत्रों के बीच छात्रों को कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी।

14. परीक्षा केन्द्र :-

परीक्षा मध्यप्रदेश के 51 जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। किसी परीक्षा केन्द्र में अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर उसे परिवर्तित/निरस्त किया जायेगा परीक्षा केन्द्र की जानकारी प्रवेश पत्र पर अंकित होगी।

15. अनुचित साधन :-

अनुचित साधन :- निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन के अंतर्गत माना जावेगा :-

15.1 परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।

15.2 अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।

15.3 परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।

15.4 परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।

15.5 अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्न-पुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।

15.6 अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्न-पुस्तिका की अदला-बदली करना।

15.7 $i j h \{ k k d \{ k e a f d l h H k h i n d k j f d f d r n c ; k d k i h \} l \{ y ; \{ y j \} e k c k b y O k u \} d s y d y \{ y j \} y k k V c y l \}$
 $u d y i p k \} b y D V k f u d ; a v k f n d k m i ; k x i \{ k r \% o f t r g \} b u e a l s d k b z H k h l k e x h i k ; s t k u s$
 $i j$

$i j h \{ k k F k h z \} k j k m l s l k k u s l s b a d k j d j u k ; k m l s L o ; a u " V d j u k A$

15.8 नकल प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।

15.9 सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

15.10 सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।

15.11 परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।

उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौंपा जायेगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एवं उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा।

16. मूल्यांकन पद्धति :- वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

17. लिखित परीक्षा में निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ :-

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. एफ-8-2/05/आ.प्र. /एक, दिनांक 08.09.2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए संबंधित विशेषज्ञ चिकित्सक (शासकीय) के प्रमाणीकरण एवं सिविल सर्जन के प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के आधार पर निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी :-

(17.1) यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी :-

17.1.1 दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में (हाथ से) निःशक्त तथा सेरिब्रल पल्सी से निःशक्तजन परीक्षार्थी।

17.1.2 मानसिक रूप से संस्तभ (स्पैस्टिक) डाइसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले परीक्षार्थी।

17.1.3 ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो।

17.1.4 दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो।

(17.2) प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ :-

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यर्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे निम्नानुसार अतिरिक्त समय की पात्रता होगी :-

3 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 60 मिनट

2) घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 50 मिनट

2 घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 40 मिनट

1) घंटे की अवधि के प्रश्नपत्र के लिए 30 मिनट

(17.3) लेखन लिपिक की नियुक्ति हेतु शर्तें :-

17.3.1 लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का होना चाहिए।

17.3.2 लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी यथा लेखन लिपिक का नाम पिता का नाम

अध्ययनरत शाला एवं अध्ययनरत कक्षा का संबंधित संस्था प्राचार्य द्वारा प्रमाणाकरण, अभ्यर्थी द्वारा संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष को प्रस्तुत कर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगी।

(17.4) इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ :-

17.4.1 परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाएँ मुफ्त प्रदान की जावेगी, जिसके लिए राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जायेगा।

17.4.2 ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कक्ष यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जावेगी।

ukV%& fd l h Hkh i rdkj dh dfBukbz gkus ij fujkdj .k gsrq nji Hkk" k ucj 0755&4019400 ij l i dZ djA

- Nk= ds }kjk vkonu i= eH Hkj h xbz tkudkj h ykld gkus ds ckn i fjofr r ugha dh tk; sxh Ni ; k tkudkj h Hkj us l s i wZ i j h {kk fu; e i fLrdk dk l ko/kkuhi wZ voykdu djA
- i j h {kk ds fu; e , oa funZ k gsrq WWW.mponline.gov.in ij ykllxu djA

vk; Dr
राज्य शिक्षा केन्द्र
Hkksi ky

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Do not leave this column blank)

To be filled by the Head of the Institution/Gazetted Officer

Certified that:

- (1) Master/Miss..... is a regular student of this School/Institution and he/she has secured % marks in the class IX annual examination, i. e., when he/she was promoted from class IX to Class X. He/She has secured marks out of.....
- (2) The particulars given by him/her in the application form have been verified and found in order.
- (3) Master/Miss belongs to Scheduled Caste/Scheduled Tribe category as per the records maintained in the Institution.(to be filled for SC/ST candidates only)

.....
Date

.....
Signature of the Headmaster/ Headmistress/Gazetted Officer
With seal

.....
Signature of the candidate

(See Instructions Overleaf)

Coding Plan

Read instruction carefully before filling up the Application Form.

1. Use only Blue or Black Ball Point pen. WRITE IN CAPITAL LETTERS. Do not mark or write outside the boxes.
2. Leave one box blank between two words. Limit your name and/or address within the space provided for it. Please see example as given below.
3. Cross(x) only one of the appropriate boxes in items nos. 4,5,6,7,10,11 and 21.
4. Please write code number in items nos 12, 13,14, 15 and 16 as given overleaf.
5. It is the responsibility of the candidate and the principal of the school to deposit the filled in form with the state concerned Officer before the last date. No request for condoning delay in submission will be entertained whether it is due to the fault of the Candidate or the Headmaster/Principal of his/her institution.
6. Incomplete or defensive applications are liable to be rejected.

Example for writing Name and Address.

Father's Name

O		P		G	U	P	T	A	
---	--	---	--	---	---	---	---	---	--

Postal Address: do not try to write complete address in one line. Break it appropriately as shown below:

Region	State/UT	Code	
North East	Arunachal Pradesh	Code	
	Assam	11	
	Manipur	12	
	Meghalaya	14	
	Mizoram	15	
	Nagaland	16	
	Sikkim	17	
	Tripura	18	
East	A& N island	19	
	Bihar	20	
	Jharkhand	21	
	Orissa	22	
	West Bengal	23	
	North	Chandigarh	24
		Delhi	25
Jammu & Kashmir		26	
Haryana		27	
Himachal Pradesh		28	
Punjab		29	
Rajasthan		30	
Uttar Pradesh		31	
Uttarakhand		32	
West		Chhatisgarh	33
	Daman & Diu	34	
	D&N Haveli	35	
	Goa	36	
	Gujarat	37	
	Madhya Pradesh	38	
	Maharashtra	39	
	South	Andhra Pradesh	40
		Karnataka	41
		Kerela	42
Lakshadweep		43	
Pondicherry		44	
Tamil Nadu		45	
Telangana		46	

1	4	5	/	6		M	O	U	N	T		R	O	A	D	
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--

Abroad		47
--------	--	----

C	H	E	N	N	A	I		PIN						
---	---	---	---	---	---	---	--	-----	--	--	--	--	--	--

Medium of Examination (Refer to item 12)		Education of Father or Mother (Refer to item Nos 13 & 15)	
Medium of Examination	Code	Education	Code
Assamese	11	No Formal Education	1
Bangla	12	Up to primary	2
English	13	Upper primary	3
Gujarati	14	Secondary	4
Hindi	15	Senior secondary	5
Kannada	16	Graduation	6
Marathi	17	Post graduation	7
Malayalam	18	Doctoral	8
Oriya	19	Professional degree(Engineering, Law,Medicaine, MCA, MBA,etc)	9
Punjabi	20		
Tamil	21		
Telugu	22		
Urdu	23		

Father's/ Mother's occupation (refer to item Nos 14 & 16)		
Occupation		Code
Professionnal		1
Executive and Managerial		2
Clerical		3
Business		4
Agriculture , fishery		5
Production and Transport		6
Operators and labourers		7
Not employed		8

***Type of School/Institutions (refer to item No.10)**

- GOVERNMENT** A Government school is that which is run by the State Government or Public Sector undertaking or an Autonomous Organization completely financed by the Government
- LOCAL BODY** A Local Body School is that which is run by Panchayati Raj and local body institutions such as Zila Parichad, municipal Corporation, Municipal Committee, Notified Area Committee and Cantonment Board
- PRIVATE AIDED** A private aided school is that which is run by an individual or a private organization and receives grant from government or local body.
- PRIVATE UNAIDED** Private Unaided School is that which is managed by an individual or a private organization and does not receive any grant from government or local body.

Common Database Structure for Candidate's Information Card for
National Talent Search Examination- 2015-16 Class-X

Instructions:

1. Give exactly the same Field Name, Field Type and Size Type to the variables as suggested below.
2. Give File name to the data file as suggested below: See State Code on back side of Candidate's Information Card For Class X Examination: ST2_2 for State of Assam, ST2_39 for State of Maharashtra.
3. Send the data on CD. It can be sent through e-mail : ntse.ncert@yahoo.in
4. Data should only be recorded in one type of data base : Fox PRO- *dbf,SPSS, MS Excel-*.xls

Sl. No	Variable Description	Field		
		Name	Type	Size
1.	State Level Roll No.	SROLL	Numeric	11
2.	National Level Roll No.	NROLL	Numeric	7
3.	Class	CLAS	Numeric	2
4.	Daye of Birth: Date	DATE	Numeric	2
	Month	MONTH	Numeric	2
	Year	YEAR	Numeric	4
5.	Name of the Candidate	CNAME	Character	35
6.	Father's Name	FNAME	Character	35
7.	Mother's Name	MNAME	Character	35
8.	Sex	SEX	Numeric	1
9.	Candidate's Area of Residence	CAREA	Numeric	1
10.	Caste Category of Candidate	CATEGORY	Numeric	1
11.	Disability Status of Candidate	DISABLE	Numeric	1
12.	Postal Address for Correspondence: First Line	CADD1	Character	35
	Second Line	CADD2	Character	35
	Third Line	CADD3	Character	35
	Pin Code	CPIN	Character	6
13.	Name and Address of School: First Line	IADD1	Numeric	35
	Second Line	IADD2	Character	35
	Third Line	IADD3	Character	35
	Pin Code	IPIN	Numeric	6
14.	School District Code	DIST	Numeric	2
15.	Type of Institutions/School	ITYPE	Numeric	1
16.	Area in which School is located	IAREA	Numeric	1
17.	Medium of Examination at NCERT Level	MEDIUM	Numeric	2
18.	Medium in which the language portion will be attempted (English or Hindi)	MEDIUMLANG	Numeric	1
19.	Father's Education	FEDU	Numeric	1
20.	Father's Occupation	FOCCU	Numeric	1
21.	Mother's Education	MEDU	Numeric	1
22.	Mother's Occupation	MOCCU	Numeric	1
23.	No. of Family Members	NFM	Numeric	2
24.	No. of Brothers	NOB	Numeric	2
25.	No. of Sisters	NOS	Numeric	2
26.	At what number is the candidate among siblings	RANKSIB	Numeric	2
27.	Code for Parental Annual Income	INCOME	Numeric	1
28.	Phone STS Code	PSTD	Numeric	5
	Phone Number	PNUM	Numeric	10
Marks in state Level Examination				
29.	MAT (Marks Obtained)	MATOBT	Numeric	2
	MAT(Maximum Marks)	MATMAX	Numeric	2
30.	SAT(Marks Obtained)	SATOBT	Numeric	
	SAT(Maximum Obtained)	SATMAX	Numeric	2
31.	Grand total (Total Marks Obtained)	GTOBT	Numeric	2
	Grand Total(Total Maximum marks)	GTMAX	Numeric	2
32.	Language (Marks Obtained)	LCTOBT	Numeric	2
	Language (Maximum Marks)	LCTMAX	Numeric	2
33.	Rank	RANK	Numeric	2
34.	Mobile No.	MOBN	Numeric	10

**Instructions for the Candidates/ Principal of Schools for Filling up the Application Form for State Level National Talent Search Examination, 2015-2016
and
Indian Students Studying Abroad for NTSE, 2015
(For the Students Studying in Class X)**

General Instruction

1. Use Legal (8.5" x 14") size paper for taking print.

Instructions for Filling Up the Application Form for State Level National Talent Search Examination.

2. This application form is meant for the students appearing at the State Level NTS examination conducted by each State/UT.
3. The Candidate/Principal of the School must confirm the **last date for submission of Application Form and where to submit it, from the State/UT liaison officer, No. application should be sent to NCERT.**
4. The candidate/Principal must deposit the application fee, if any, prescribed by state/union territory with the application form.
5. The candidate/Principal should leave the **4-digit Centre code blank, to be filled by the liaison officer/concerned district officer/Centre Superintendent.**
6. Incomplete /wrongly filled in application forms are liable to be rejected.
7. Applicants are requested to refer/consult the application form, published by the States/UTs, for caste category reservation. Some **options of Caste Category(Like OC, Other 1 and Other 2), given in the form are applicable for the State/UT only.** No reservation will be given against these categories by the NCERT in the national level examination.
8. NCERT is not responsible, if any other item, which is not given in the common application form, has been included by the State/UT.

Instructions for Indian Students Studying abroad.

9. **The Indian Students Studying abroad** should fill the relevant items of the application forms and should forward it to NCERT along with Class IX mark sheet latest by **February 28, 2016** for consideration.
10. Please mention the name of State/UT, where the candidate wants to appear in the national level NTS Examination, in the covering letter.

STATE LEVEL NATIONAL TALENT SEARCH EXAMINATION- 2016

Name of the state/UT:
(Which will conduct the Examination)

ADMISSION CARD

To be filled in by the applicant

Master/ Miss _____

S/o/D/o Sri _____

of(School) _____

of(District/Centre) _____

Is permitted to appear for the above said examination.

Full Postal Address: _____

PIN Code _____

She/He is allotted 11 digit Roll Number:

StateCode Year Centre Code Serial No.(Office to fill)

	1	6									
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Date of Examination:

(To be filled at the State level)

Venue of Examination Centre:

Signature of the Head of the School
(with Office seal)

Scrutinized by
(Office Staff)

Office seal

Signature of Liaison Officer/District
Level Officer/Authorized for State Level Examination


Signature of the Invigilator
At the examination centre

Signature of the candidate in the
presence of the Invigilator

MAT.....

Language Test.....

SAT.....



INSTRUCTIONS TO THE CANDIDATE

(FOR THE STUDENTS STUDYING IN CLASS X)

1. Make Sure that the Admit card is not detached from the application form. Admit card will be sent to the chief superintendent of the examination centre after allotting the Roll Numbers. Candidate can collect the Admit card from the Centre Superintendent of the examination centre **at least one week** before the examination.
2. Reach the examination centre at least half an hour before the commencement of the examination; and occupy the seat that bears your Roll Number.
3. DO NOT take mobile phones, calculator, Mathematical or Physical table or any other kind of ready reckoner to the examination hall.
4. The examination will be conducted in three sessions on the same day.
5. You have to take the examination as per details given below:
 - Mental Ability Test (MAT)
 - Scholastic Aptitude Test (SAT), which includes tests in Language Comprehensive and Aptitude Separately.

Sl. No.	Test Type	Marks	No. of Items	Duration (in minutes)
1.	Mental Ability Test (MAT)	50	50	45
2.	Language Test (LT)	50	50	45
3.	Scholastic Aptitude Test (SAT)	100	100	90

The applicants are requested to refer/consult State Liaison Officer for the composition of the test.

6. Each question carries 1(one) mark.
7. Write your roll Number, as given in the Admit Card, on the Answer Sheet and on the Cover Page of the Question Booklet in the space provided.
8. All questions in the booklets are objective type. For each question, Four possible answers are given, but only one is correct. Your task is to find out the correct answer and mark your choice in the Answer Sheet.
9. Record your answer-using Ball Point Pen only. You have to indicate your answer on the answer sheet as advised by the Stat/UT.
10. During the examination follow the instructions of the Invigilator strictly.
11. Hand over your question booklet and answer sheets to the invigilator before you leave the Examination hall.
12. **Hand over the admission card to the invigilator before leaving the examination hall.**

Full Postal Address of the candidate for despatch of admission letter:

_____ PIN Code _____

INSTRUCTION

DISTRICT WISE LIST OF EXAMINATION CENTRES.

District wise list of Examination Centre Codes for state Level NTS Examination for Class X

Sl. No	District	Centre Code	State Code	Last three digit (Office to fill)	Remark
1.	East Khasi Hills	0101	14	001-150	
2.	West Khasi Hills	0201	14	151-250	
3.	Ri- Bhoi District	0301	14	251-350	
4.	West Jaintia Hills	0401	14	351-450	
5.	West Garo Hills	0501	14	451-550	

6.	East Garo Hills	0601	14	551-650	
7.	South Garo Hills	0701	14	651-700	
8.	East Jaintia Hills	0801	14	701-800	
9.	North Garo Hills	0901	14	801-850	
10.	South West Khasi Hills	1001	14	851-900	
11.	South West Garo Hills	2001	14	901-950	

Example of writing the 12 digit Numbers in the form as well as in the Admit card.

Serial No (to be filled by the office)

2	1	4	1	5	0	1	0	1	0	1	1	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

↓ ↓ ↓

Points to be Note:

- ❖ The 4- digit Centre Code to be filled by concern DSEO/SDSEOs not by the candidates.
- ❖ The last 3- digit in the above example i.e. serial no. is to be filled by the Office of DSEO/SDSEOs as per the instruction in the above district wise list. There should No over-writing for the last 3-digit in the form as well as in the admit card.
- ❖ Admit cards are to be issued by DSEO/SDSEOs not by DERT but a photo copy of the Admit Card must be sent to DERT, Shillong.
- ❖ Candidates are to submit the forms through the Principals/Headmaster/Headmistress of the respective Schools and the same must be forwarded to DSEO/SDSEOs of their district on or before 5th September, 2014.

Document to be submitted along with Application Forms:

- a) Progress Report/Report Card of the last promotion examination
- b) SC/ST Certificate for SC/ST candidates.
- c) Disability Status Certificate from the Component Authority (for NTS/NMMS)
- d) Income certificate for those who apply for NMMS.